संख्याः 2410 /नौ-4-11-11लेखा/07

प्रेषक,

दुर्गाशंकर मिश्र
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 10 मई, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में प्रदेश के नगर निकायों के लेखा संवर्ग के वेतनमान/संवर्गीय ढांचा राजकीय विभागों के समान रखे जाने के संबंध में की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8/685-2110/लेखा. उच्चीकृत वेतनमान/07 दिनांक 22 सितम्बर 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-ले.आ.-2-263/दस-54(एम)/2008 दिनांक 09 मार्च 2010 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णय के क्रम में उ.प्र. पालिका केंद्रीयत/अकेन्द्रीयत सेवा के लेखा संवर्ग के पदों के संलग्न तालिका-1 में इंगित वर्तमान पदनाम, वेतनमान, पदों की संख्या, भर्ती की विधि तथा भर्ती हेतु अर्हता को संलग्न तालिका-2 के अनुसार पदनाम, वेतनमान, पदों की संख्या, भर्ती की विधि तथा भर्ती हेतु अर्हता तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते हैं कि उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप अस्तित्व में आये उच्च वेतनमान के पदों के सापेक्ष पदधारकों के समायोजन/तैनाती से आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे और इस हेतु शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

2. उपर्युक्त पुनर्गठन में केन्द्रीयत सेवा लेखाकार श्रेणी-2 के पद के पदधारक पुनर्गठित ढांचें में केन्द्रीयित सेवा के सहायक लेखाकार पद के सापेक्ष, लेखाकार श्रेणी-1 के पद के पदधारक लेखाकार पद के सापेक्ष, तथा सहायक लेखाधिकारी के पदों के पदधारक सहायक लेखाधिकारी के पद के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार अकेन्द्रीयित सेवा के लेखा लिपिक, वरिष्ठ लेखा लिपिक, सहायक लेखाकार तथा लेखाकार (अनर्ह) पदों के पदधारक अकेन्द्रीयत सेवा के पुनर्गठित ढांचें में सहायक लेखाकार के पदों सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।

3. उपरोक्तानुसार पुनर्गठित ढांचें में केन्द्रीयत एवं अकेन्द्रीयत सेवा के उपलब्ध पदों का निकायवार आवंटन/निर्धारण अलग से किया जायेगा।

4. उपर्युक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्च वेतनमान के पदों के सापेक्ष समायोजित होने वाले पदधारकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

5. उक्तानुसार पुनर्गठित ढांचें के पदों के पदनाम, वेतनमान, भर्ती का स्रोत एवं भर्ती हेतु अर्हता का यथादेश सम्बन्धित नियमावली में करते हुए संशोधित सेवा नियमावली यथाशीघ्र प्रख्यापित की जायेगी।

6. यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- वे0आ0-2-448/XII दिनांक-20.04.11 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तद्दैवः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उ.प्र., इलाहाबाद।
2. समस्त नगर आयुक्त, उ.प्र.।
3. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10.5.11

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 2410/नौ-4-11-11लेखा/07 दिनांक 10-5-11 का संलग्नक।

तालिका-1

केन्द्रीयित सेवा

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की विधि/अर्हता
1	2	3	4	5
1	लेखाकार श्रेणी-2	130	3200-4900	सीधी भर्ती। अर्हता-कामर्स के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इण्टरमीडिएट के साथ निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लेखाकार परीक्षा उत्तीण होने का प्रमाण पत्र।
2	लेखाकार श्रेणी-1	71	4500-7000	50 प्रतिशत सीधी भर्ती-आयोग के माध्यम से। अर्हता-कामर्स के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इण्टरमीडिएट के साथ निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा लेखाकार परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। 50 प्रतिशत पद लेखाकार श्रेणी-2 के पदों से पदोन्नति द्वारा।
3	सहायक लेखाधिकारी	14	6500-10500	50 प्रतिशत सीधी भर्ती-आयोग के माध्यम से। अर्हता-स्नातक उपाधि। 50 प्रतिशत पद लेखाकार श्रेणी-1 के पदों से पदोन्नति द्वारा।

अकेन्द्रीयित सेवा

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की विधि/अर्हता
1	2	3	4	5
1	लेखा लिपिक	246	3200-4900	सीधी भर्ती। अर्हता इण्टर-मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।
2	वरिष्ठ लेखा लिपिक	23	3200-4900	कनिष्ठ लेखा लिपिक के पदों से पदोन्नति द्वारा।
3	सहायक लेखाकार	20	4000-6000	कनिष्ठ/वरिष्ठ लेखा लिपिक के पदों से पदोन्नति द्वारा।
4	लेखाकार अनर्ह	12	4000-6000	सीधी भर्ती। अर्हता-इण्टर-मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

10.5.11.

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 2410/नौ-4-11-11लेखा/07 दिनांक 10-5-11 का संलग्नक।

तालिका-2

केन्द्रीयत सेवा

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की विधि/अर्हता
1	2	3	4
सहायक लेखाकार	201	4500-7000 वेतन बैण्ड-1 रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800	सीधी भर्ती। अर्हता-स्नातक कामर्स तथा कम्प्यूटर संचालन में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा प्रदत्त 'ओ' स्तर का डिप्लोमा।
लेखाकार		5500-9000 वेतन बैण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200	03 वर्ष की सेवा तथा प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने वाले सहायक लेखाकार के पदों के पदधारकों को लेखाकार इस प्रतिबन्ध के अधीन पदनामित किया जायेगा कि इनकी संख्या सहायक लेखाकार एवं लेखाकार की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न होगी। लेखाकार के 15 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाकार पदनाम से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु. 4200 में होंगे, जिन्हें द्वितीय विभागीय परीक्षा पास करने वाले लेखाकार पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
सहायक लेखाधिकारी	14	वेतनबैण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4600	50 प्रतिशत सीधी भर्ती-आयोग के माध्यम से। अर्हता-स्नातक उपाधि। 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाकार के पदों से पदोन्नति द्वारा।

अकेन्द्रीयत सेवा

पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती की विधि/अर्हता
1	2	3	4
सहायक लेखाकार (अकेन्द्रीयत)	301	4500-7000 वेतन बैण्ड-1 रु. 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2800	सीधी भर्ती। अर्हता-स्नातक कामर्स तथा कम्प्यूटर संचालन में डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा प्रदत्त 'ओ' स्तर का डिप्लोमा।

		5500-9000 वेतन बैण्ड-2 रु. 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु. 4200	03 वर्ष की सेवा तथा प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने वाले सहायक लेखाकार के पदों के पदधारकों को लेखाकार इस प्रतिबन्ध के अधीन पदनामित किया जायेगा कि इनकी संख्या सहायक लेखाकार एवं लेखाकार की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न होगी। लेखाकार के 15 प्रतिशत पद वरिष्ठ लेखाकार पदनाम से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु. 4200 में होंगे, जिन्हें द्वितीय विभागीय परीक्षा पास करने वाले लेखाकार पदधारकों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

10.5.11

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।